

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(1)न्याय/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक ०१/११/१९

-::अधिसूचना::-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या-2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों/प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या-3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायाधीशों के ज्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या-4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.स	जिला न्यायाधीश न्यायालय का नाम	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, सीकर	अपर जिला न्यायाधीश, दातारामगढ़	दातारामगढ़
2.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा	अपर जिला न्यायाधीश, गंगापुर	गंगापुर

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेंशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा, एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के तहत अपर सेंशन न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

१.११.१९
(विनाद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच,
जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन
सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सेंशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक,
सीकर/ भीलवाड़ा ।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को
राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग
की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।



(मदुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव